प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा, चंडीगढ।

सेवा में

- संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकुला।
- 2. सभी उप निदेशक, औद्योगिक स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
- 3. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य।
- 4. सभी संयुक्त निदेशक, औ०सुरक्षाएवं स्वा०, हरियाणा राज्य।
- 5. सभी सहायक निदेशक, औ०सुरक्षाएवं स्वा0, हरियाणा राज्य।
- 6. सभी सहायक निदेशक, औ०सुरक्षाएवं स्वा०, (कैमिकल) हरियाणा राज्य।
- 7. सभी सहायक निदेशक, औ० स्वा० एवं सर्टिफाईंग सर्जन, हरियाणा राज्य।
- 8. आई.टी.सेल, मुख्यालय को विभाग की बैवसाईट पर डालने हेतू

कमांकः स्था0/03/2017/ 31052-152 दिनांकः 3%-1%-77-

विषयाः 🔻 🔻

विषयः Regarding display of board under the Haryana Right to Service Act, 2014.

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

विषय सम्बंध में आपको सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा हरियाणा राईट टू सर्विस एक्ट, 2014 बनाया गया है, जिस उद्देश्य जिन सेवाओं को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है, उसमें नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं की समय अवधि और उक्त अधिनियम के तहत नामित अधिकारी, प्रथम अपीलिय अधिकारी व द्वितीय अपीलीय अधिकारी नियुक्ति किये गये है।

हरियाणा राईट टू सर्विस एक्ट, 2014 के अंर्तगत विभाग की जिन सेवाओं को इस अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया है कि प्रति भेजकर सूचित किया जाता है कि उन सेवाओं को अपने कार्यालयों में डिस्पले बोर्ड पर लगाते हुए अपनी रिपोर्ट पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अन्दर—2 मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त आपको यहाँ यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं के रिकार्ड को हरियाणा राईट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित प्रोफार्मा अनुसार नामित अधिकारी द्वारा मैनटेन करेंगें, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

		Record to be	maintained by De	signated officer	
Sr. no.	Name of the Applicant	Type of Service Applied	Date of receipt of application	Date of disposal of application	Remarks (Service provided or application rejected with reasons.

यह आपकी सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है संलग्न/उक्त

> अतिरिक्त श्रम आयुक्त (प्रशा०) कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Sr. No.	Name of the Service	Time limit as per the section 3 of	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	er 1 <sup>st</sup> Appellat Authority	e 2 <sup>nd</sup> Appella Authority.
1.	Registration of Establishment engaged in Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (28 of 1996)	Julys	Assistant Director (IS&H)/Deputy Director (IS&H)/Assistant Director, IH/Deputy Director, IH and Joint Director,	Commissioner	Principal Secretary.
2.	Registration of principal employer's establishment under the provision of Inter State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Condition of Service) Act, 1979 (30 of 1979)	26 days	(IS&H) Additional Labour Commissioner	Labour Commissioner	Principal Secretary.
- 1	Registration/Renewal of construction workers as beneficiary of Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board.		All registering officers in the State	Deputy Director (IS&H)	Joint Secretary, HBOCWW Board.
	Delivery of benefits under various Welfare Scheme of Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board.	-	Concerned Deputy Director	*	Labour Commissioner- cum-Secretary, HBOCWW Board.